

**मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 17.11.2022 को अपरान्ह 05:00 बजे
सम्पन्न हुई राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठक का कार्यवृत्त।**

उपस्थिति:—बैठक में निम्नवत् अधिकारीगण उपस्थित रहे:—

1. - श्री अमित कुमार सिन्हा, निदेशक, आईटीडीओ, देहरादून।
2. - श्री दीपेन्द्र कुमार चौधरी, सचिव (प्रभारी), शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. - श्री देबकुमार चक्रवर्ती, सीनियर डीडीजी, यूपी (वेस्ट), एलएसओ, उत्तराखण्ड।
4. - श्री अरुण कुमार वर्मा, डीडीजी (एससी) DoT, उत्तराखण्ड।
5. - श्री अशोक कुमार रावत, डीडीजी (आर) DoT, उत्तराखण्ड।
6. - श्री पंकज पोरवाल, निदेशक, (आर-02), DoT, उत्तराखण्ड।
7. - श्री विजय कुमार, निदेशक, (आर-01), DoT, उत्तराखण्ड।
8. - श्री विशाल श्रीवास्तव, एडीजी (सी-01), DoT, उत्तराखण्ड।
9. - श्री आलोक रंजन, एडीजी (आर-01), DoT, उत्तराखण्ड।
10. - श्री शूरवीर सिंह तोमर, एडीजी (आर), DoT, उत्तराखण्ड।
11. - श्री ओपी कनौजिया, जीएम (सीएम), बीएसएनएल, उत्तराखण्ड।
12. - श्री सुमित गुप्ता, जीएम (NoFN), बीएसएनएल, उत्तराखण्ड।
13. - श्री वाईपी सिंह, मै रिलायन्स जियो।
14. - सुश्री, मीना बिष्ट, मै इण्डस टावर/डीआईपीओ।
15. - श्री अंकित द्विवेदी, ईओ एण्ड वाईओ।
16. - श्री शिशिर, ईओ एण्ड वाईओ।
17. - श्री ऐश्वर, ईओ एण्ड वाईओ।

बैठक में उपस्थित अधिकारीगणों के मध्य हुये विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नांकित निर्णय सर्वसम्मति से लिये गये:—

1. राज्य के समस्त डार्क गाँवों को 4 G Saturation योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाय, जिस हेतु आईटीडीओ द्वारा अपने स्तर से सत्यापित सूची 15 दिवस में दूर संचार विभाग से साझा कर ली जाय। पंचायती राज विभाग से भी डार्क गाँव की सूची 15 दिवस में प्राप्त करते हुये जनपदों से सत्यापन करा लिया जाय।

(कार्यवाही—आईटीडीओ, पंचायती राज विभाग, समस्त जिलाधिकारी)

2. भारतनेट-1 परियोजना के अंतर्गत गाँवों में बिछायी गयी ऑप्टिकल फाइबर को दिनांक—31.12.2022 तक कार्यशील किये जाने एवं अवशेष 265 गाँवों में दिनांक—31.03.2023 तक ऑप्टिकल फाइबर बिछा कर कार्यशील किये जाने के सम्बन्ध में बीएसएनएल/बीबीएनएल द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर ली जाय।

(कार्यवाही—बीएसएनएल)

3. 4जी मोबाईल टावर स्थापित किये जाने के लिए 2000 वर्गफीट भूमि (वन भूमि के अतिरिक्त) बीएसएनएल को निशुल्क भूमि आवंटित किये जाने के निर्णयों के क्रम में बीएसएनएल के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह शीघ्र प्रतिशीघ्र सम्बन्धित जिलाधिकारी से संपर्क कर भूमि चयन व आवंटन की कार्यवाही पूर्ण करें।

(कार्यवाही—बीएसएनएल)

4. Ease of Doing Business के अंतर्गत आरओडब्ल्यू के लिए एकल खिड़की प्रणाली पर

पमेंट गेट-वे का एकीकरण माह के अन्त तक आईटीडीओ द्वारा ई एण्ड वाई की टीम से करा लिया जाये। साथ ही उद्योग विभाग के अंतर्गत इज ऑफ डुईंग बिजनेस हेतु आबद्ध ई एण्ड वाई की टीम द्वारा पीएम0 गतिशक्ति पोर्टल पर स्ट्रीट फर्नीचर, बिजली के खंबों, सरकारी भवनों व बस स्टॉप आदि की GIS मैपिंग जल्दी कर ली जाये साथ ही 5G हेतु थोक में आरओडब्ल्यू आवेदनों का प्रावधान सम्बंधित पोर्टल पर कर लिया जाय।

(कार्यवाही-आईटीडीओ, उद्योग विभाग/ई0 एण्ड वाई0)

5. शहरी विकास विभाग के साथ आरओडब्ल्यू नियम अपनाने तथा आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी नियमावली पर एक समन्वय बैठक एक माह उपरांत मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में करा जी जाय।

(कार्यवाही-आवास एवं शहरी विकास विभाग)

6. डार्क गाँवों की सूची, आरओडब्ल्यू आवेदनों एवं सील किये गये मोबाईल टावरों के संबंध में सचिव आईटी0 व निदेशक आईटीडीओ समीक्षा करने के उपरांत आवश्यकतानुसार मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आहूत कर नियमित रूप से समीक्षा की जाय। साथ ही सील किये गये मोबाईल टावरों व ऐसे ही लंबित प्रकरणों का संगत आरओडब्ल्यू नियमों के अंतर्गत परीक्षण करते हुये निस्तारण किया जाय।

(कार्यवाही-सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, आईटीडीओ, सम्बन्धित विभाग)

7. निरस्त किए गए आरओडब्ल्यू आवेदनों का शुल्क, अगले आवेदन के सापेक्ष उपयोग किये जाने अथवा वापस कर दिए जाने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने एवं सॉफ्टवेयर में निरस्त किए जाने के विकल्प को ड्रॉप डाउन रूप में रखे जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

(कार्यवाही-आईटीडीओ, उद्योग विभाग/ई0 एण्ड वाई0)

8. पीएम0 वाणी हॉटस्पॉट के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि दूर संचार विभाग द्वारा देहरादून स्मार्ट सिटी के अंतर्गत व अन्य संस्थानों में यह सुविधा शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही-दूरसंचार विभाग, उत्तराखण्ड)

9. - दूर संचार विभाग द्वारा प्रस्तावित 5G के क्रियान्वयन हेतु राज्य की ओर से आईटीडीओ नोडल संस्था नामित किये जाने एवं 5G से सम्बन्धित समस्त कार्यों पर अग्रेत्तर/आवश्यक कार्यवाही आईटीडीओ स्तर से सम्पादित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही-सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी/आईटीडीओ)

10. उद्योग विभाग के अंतर्गत Ease of Doing Business हेतु आबद्ध 'ई एण्ड वाई' की टीम द्वारा पीएम0 गतिशक्ति पोर्टल पर स्ट्रीट फर्नीचर, बिजली के खंबों, सरकारी भवनों व बस स्टॉप आदि की GIS मैपिंग शीघ्र किये जाने एवं 5G के लिये आरओडब्ल्यू आवेदन किये जाने हेतु सम्बंधित पोर्टल को Update किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही—उद्योग विभाग/ई0 एण्ड वाई0)

11. बी0बी0एन0एल0 द्वारा स्थापित किए जा रहे 175 वी-सेट के रख रखाव व सुरक्षा के संबंध में राजस्व व पंचायती राज विभागों और जिलाधिकारियों को सचिव आई0टी0 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये जाय।

(कार्यवाही—सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी/राजस्व/पंचायती राज/समस्त जिलाधिकारी)

12. टेलीकॉम कंपनियों की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग द्वारा त्वरित निष्पादन हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही—सम्बन्धित विभाग)

अन्त में बैठक में उपस्थित अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मुख्य सचिव महोदय द्वारा बैठक का समापन किया गया।

(शैलेश बगौली)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन

सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग-1

संख्या— /XXXIV-1/2022-17/2018 टी0सी0-01

देहरादून: दिनांक: दिसम्बर, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास/शहरी विकास/औद्योगिक विकास/लोक निर्माण/ऊर्जा/राजस्व/पंचायती राज/वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. उप महानिदेशक, दूरसंचार विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. सी0जी0एम0, बी0एस0एन0एल0, उत्तराखण्ड।
4. सी0जी0एम0, बी0बी0एन0एल0, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, आई0टी0डी0ए0, देहरादून को इस आशय प्रेषित कि उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगणों से समन्वय स्थापित करते हुये आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6. समस्त उपस्थित अधिकारीगण।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश जैन)
उपसचिव